

अनुदान संख्या 35 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35-TYPE TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	34392,42,00	27158,64,82	-7233,77,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7233,77,18
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	52083,34,00	67205,80,00	64542,90,42
पूरक	Supplementary	15122,46,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2662,90,80
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-			
मूल	Original	4867,50,00	8029,00,00	7029,00,00
पूरक	Supplementary	3161,50,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1000,00,00
टीका और टिप्पणियां		Notes and comments		

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	3439242.00	2715864.82	2715864.82
पु.	R.	-723377.18		

1. “योजनेतर अनुदान-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “आपदा राहत निधि को अंशदान” - 13814.65 लाख रु. की बचत (335863.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, आपदा राहत निधि में व्यय और शेष राशि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “स्थानीय निकायों के लिए अनुदान” - 222446.80 लाख रु. की बचत (762314.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) स्थानीय निकायों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) “शिक्षा क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान” - 88699.00 लाख रु. की बचत (281590.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घा) “स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान” - 79493.50 लाख रु. की बचत (156958.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(ड) “सड़कों तथा सेतुओं के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान” - 105232.00 लाख रु. की बचत (423610.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(चा) “सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान” - 81880.50 लाख रु. की बचत (169276.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

(छा) “वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान” - 6205.00 लाख रु. की बचत (24600.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

1. Under “Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution”- savings occurred under the following heads:-

(A) “Contribution to Calamity Relief Fund” - saving of Rs.13814.65 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.335863.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate from State Governments, non-furnishing of the certificate of expenditure and balance in the calamity relief fund.

(B) “Grants for Local Bodies”- saving of Rs.222446.80 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.762314.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from local bodies.

(C) “Grants-in-aid for Education Sector” - saving of Rs.88699.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.281590.00 lakhs);

(D) “Grants-in-aid for Health Sector” - saving of Rs.79493.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.156958.00 lakhs);

(E) “Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges” - saving of Rs.105232.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.423610.00 lakhs); and

(F) “Grants-in-aid for Maintenance of Public Buildings” - saving of Rs.81880.50 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.169276.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-fulfillment of conditions laid down by Twelfth Finance Commission by some State Governments.

(G) “Grants-in-aid for Maintenance of Forests” - saving of Rs.6205.00 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.24600.00 lakhs);

(जा) "विरासत के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान" - 7627.83 लाख रु. की बचत (17277.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(झा) "राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान" - 117977.90 लाख रु. की बचत (267903.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुईं।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (266289.58 लाख रु.) अक्टूबर, 2008, दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 1512246.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (266290.80 लाख रु.) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(H) "Grants-in-aid for Heritage Conservation" - saving of Rs.7627.83 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.17277.00 lakhs); and

(I) "Grants-in-aid for States Specific Needs" - saving of Rs.117977.90 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.267903.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-submission of approved action plan and utilisation certificates by some State Governments.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.266289.58 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of Rs.1512246.00 lakhs obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 and 4 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.266290.80 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services			
मू.	O.	558500.00		
पू.	S.	64379.00		
पु.	R.	-15311.90	607567.10	607567.31 +0.21

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities			
मू.	O.	360000.00		
पू.	S.	146470.00	407991.50	407991.50
पु.	R.	-98478.50		
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	4257334.00		
पू.	S.	1301397.00	5406230.60	5406231.61 +1.01
पु.	R.	-152500.40		

(I) 66437.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 63687.00 लाख रु. का पूरक अनुदान, पूरक अनुदान प्राप्त करते समय हुई टाइपिंग त्रुटि को ठीक करने के कारण था।

(खा) "योजनेतर अनुदान - सामाजिक सेवाएं - धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता" - 2750.00 लाख रु. गृह मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - सामान्य केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत 1799198.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर

(I) Provision of Rs.66437.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "3601" - under the following heads:-

(A) "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Additional Central Assistance" - supplementary grant of Rs.63687.00 lakhs - due to rectification of typing error committed at the time of obtaining supplementary grant.

(B) "Non-Plan Grants-Social Services - Upkeep of Shrines, Temples etc. - Assistance for development of Golden Temple Complex" - Rs.2750.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Ministry of Home Affairs.

(II) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Normal Central Assistance" - the original provision of Rs.1799198.00 lakhs was augmented to

1849198.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 254380.82 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2075" - "अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डाला जाना - राज्य सरकारों का कर्ज बट्टे खाते डाला जाना" - 558500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 23922.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 582422.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो घाटे की स्थिति के आधार पर ऋण अधित्याग के लिए कम संख्या में राज्य सरकारों को योग्य पाए जाने के कारण 15312.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" - 180000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 146470.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 326470.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो आई एम जी/एच सी एल की सिफारिश से कुछ राज्य सरकारों को सहायता प्रदान किए जाने के कारण 98478.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - 68250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 302950.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 371200.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो योजना आयोग/संबंधित मंत्रालयों से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण 30678.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

Rs.1849198.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50000.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.254380.82 lakhs (including supplementary grant) - due to non-furnishing of utilisation certificates by some State Governments.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2075" - "Irrecoverable Loans Written off-Loans to State Governments Written off" - the original provision of Rs.558500.00 lakhs was augmented to Rs.582422.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.23922.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15312.17 lakhs - due to less number of State Governments found eligible for debt waiver based on deficit position.

(B) Major head "2245" - "General - Assistance to States from National Calamity Contingency Fund-Assistance to States from National Calamity Contingency Fund for Calamities of severe nature" - the original provision of Rs.180000.00 lakhs was augmented to Rs.326470.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.146470.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.98478.50 lakhs - due to less assistance recommended by IMG/HLC to some State Governments.

(C) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Additional Central Assistance for Externally Aided Projects" - the original provision of Rs.68250.00 lakhs was augmented to Rs.371200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.302950.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.30678.42 lakhs - due to receipt of less recommendations from Planning Commission/ concerned Ministries.

(IV) Under Major head "3601" - "Grants for State Plan Schemes- Block Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) “त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम” - 36397.00 लाख रु. की बचत (80000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का अंतरण राज्य योजना से केंद्रीय योजना को किए जाने के कारण हुई।

(खा) “किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम” - 13945.37 लाख रु. की बचत (16277.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग/संबंधित मंत्रालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “राष्ट्रीय ई अभिशासन कार्य योजना” - 18515.73 लाख रु. की बचत (46937.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल मंत्रालय से राष्ट्रीय ई अभिशासन कार्य योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के आंशिक रूप से (124339.72 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “3601” - “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत 259687.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” - “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “विशेष योजना सहायता” - 10313.60 लाख रु. का अधिक व्यय (460200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) “त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम” - 65188.86 लाख रु. का अधिक व्यय (230000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 785000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रोत्साहन पैकेज के कारण जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर अतिरिक्त निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Accelerated Power Development Programme (APDRP)” - saving of Rs.36397.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.80000.00 lakhs) was due to transfer of the scheme from the state plan to central plan.

(B) “Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)” - saving of Rs.13945.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16277.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Planning Commission/concerned Ministries.

(C) “National E-Governance Action Plan (NEGAP)” - saving of Rs.18515.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46937.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under National E-Governance Action Plan from the nodal Ministry.

3.(I) The above savings were partly (Rs.124339.72 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.259687.00 lakhs under Major Head “3601” - “Grants for State Plan Schemes – Block Grants - Additional Central Assistance for Other Projects”.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Grants for State Plan Schemes-Block Grants” - under the following heads:-

(A) “Special Plan Assistance” - excess of Rs.10313.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.460200.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from the Planning Commission.

(B) “Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme” - excess of Rs.65188.86 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.785000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.230000.00 lakhs) was due to release of additional funds on recommendation of Ministry of Water Resources on account of the stimulus packages.

(गा) "सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम" - 59671.00 लाख रु. का अधिक व्यय (12597.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 58597.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग/संबंधित मंत्रालयों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(घा) "वर्ष 2005-06 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक पुनर्निर्माण" - 8352.50 लाख रु. का अधिक व्यय (56163.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा राज्य योजना स्कीमों की सिफारिश किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (100000.00 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 316150.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(C) "Tsunami Rehabilitation Programme (TRP)" - excess of Rs.59671.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.58597.00 lakhs including supplementary grant of Rs.12597.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from Planning Commission/concerned Ministries.

(D) "Long Term Reconstruction of Assets Damaged during 2005-06 Floods" - excess of Rs.8352.50 lakhs (against the supplementary provision of Rs.56163.00 lakhs) was due to recommendation of State Plan Schemes by the Planning Commission.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.100000.00 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary appropriation of Rs.316150.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 12 percent of the total sanctioned appropriation.

Savings occurred under the following major head:-

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"			
राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार	Loans and Advances to State Governments			
मू.	O.	486750.00		
पू.	S.	316150.00	702900.00	702900.00
पु.	R.	-100000.00		..

(I) 100000.00 लाख रु. का विनियोग "अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम" के अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Appropriation of Rs.100000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances" - due to non-receipt of proposals from any State Government.
